टेक्सला/ओरो/सहकारिता-1
08/6/10

संख्या-507 ब/26-व0प्र0-2009-500(89)/2003

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,उ0प्र0,
लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊः दिनांक 11 जून,2010

विषयः— अनुदान संख्या—81 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष घटक योजना)—प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों की अंशपूँजी में धन लगाने हेतु ऋण (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2010—11 के लिए वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक—193/अधि0/1—9/2010—11 दिनांक 15.04.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपये—50,000—00 (रूपये—पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2— उपरोक्त ऋण की धनराशि संबंधित जिलों को प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग—2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—913/35—आ—2/2009—46, दिनांक 13 जनवरी,2010 में जारी किये गये निर्देशों/जनपदों की वर्ष 2010—11 की जिला योजनाओं के लिये आबंटित परिव्यय को दृष्टिगत रखते हुए अवमुक्त की जाये ।

3— उपरोक्त स्वीकृत ऋण की धनराशि संबंधित जिलों को अवमुक्त करते हुए स्वीकृत ऋण के उपयोग आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—यू0ओ0—235 अ/26—ब0प्र0—206—500(89)/2003, दिनांक 17.4.2006 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

4— विभाग का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के व्यय हेतु एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5— शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2007 तथा दिनांक 08 मई, 2007 में दिये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

6— उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—"6425—सहकारिता के लिए कर्ज —आयोजनागत—796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना—03—प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों की अंशपूँजी में धन लगाने हेतु ऋण—30—निवेश/ऋण " के नामे डाला जायेगा ।

7— ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—3—1009/दस—2010 दिनांक 07 जून,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या— 507 (1)/26—ब0प्र0—2010—तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषितः—

1— महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3— प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4— मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0, लखनऊ ।
6— वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—4/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3
7— कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।